

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट) कैम्प 2018

- आदेश :-

प्राची के खाता सुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवार ला. ७५१ व भूअनि. बरे की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रूपपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाखर्च सम्वत् 2073-74 में खाता संख्या 156 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>रूपपुरा</u>	<u>156</u>	<u>लाडु घेवा</u> <u>आमा</u>	<u>लाडु पानी आमा</u>


 (राजेंद्रलाल रेगार)


पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 355/18

दिनांक - 11/5/18

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेखा है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर प्रालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्राची श्री _____ को सूचनाार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली


 (राजेंद्रलाल रेगार)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा